



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ / Regional Office Chandigarh



F. No.: 9-PBB311/2023-CHA



Dated: As per e-sign

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
पंजाब सरकार, लघु सचिवालय,
सेक्टर-9, चण्डीगढ़।
(lctc@punjab.gov.in)

विषय:- Diversion of 0.0102 ha of forest land for approach access road to B-site retail outlet at part of Khasra no. 18/8/4/1, 18/90/3/1 of Indian Oil Corporation Limited., at Village Hariana (WML) from SH 24 to Dholwaha road L/s, under forest division and District Hoshiarpur, Punjab. (FP/PB/Approach/146634/2021)

संदर्भ:- State Government letter FOREST-FCA0FC3H/32/2022-FCA dated 06.05.2025.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 0.0102 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

- प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तुत वन भूमि, 0.0102 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।
- प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।
- पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) में अपलोड की जाएगी।
- प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपर्युक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।
- FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।
- वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।

वेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No: 0172-2638135 Email: ron2.chd-mef@nic.in

वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
- iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार H.B No. 503 village Chak Sadhu PF पर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
- iv. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kmf files को अपलोड करेगी।
- v. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- vi. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।
- vii. इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- viii. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किया जाएंगे।
- ix. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- x. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- xi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।
- xii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xiii. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।
- xiv. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

विशिष्ट शर्तें:

- i. स्टेशन की पूरी परिधि पर दीवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अंतराल पर हल्के मुकुट वाले पेड़ लगाए जाने चाहिए।
- ii. उपयोगकर्ता एजेंसी पहुंच मार्ग पर भी वृक्षारोपण करेगी (प्रवेश/निकास या मंदी/त्वरण) और विभाजक द्वीप पर और इस विभाजक द्वीप का उपयोग किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- iii. यह सिद्धांत अनुमोदन CWP(C) संख्या 1164/2023 दिनांक 03.02.2025 और 04.03.2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अंतिम परिणाम के अधीन है।

3. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केंद्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है।

Digitally signed by
Raja Ram Singh
Date: 29-05-2025
14:57:33

भवदीय
-sd-

(राजा राम सिंह)
उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)
RO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (ROHQ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब। (pccfpunjab@gmail.com).
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CAMPA, फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब (ceo.puncampa@gmail.com).
4. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Hoshiarpur, Punjab.
5. Approach Access for Indian Oil Corporation (IOCL).(goyals1@indianoil.in)

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ. 386-86 ਮਿਤੀ 18/11/25

ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ -

1) ਵਣ ਰੋਜ਼ ਅਫਸਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣ ਪਾਲ (ਐੱਫ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਏ.) ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼, ਐਕਟਸ, ਰੂਲਜ਼, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਲਣਾ/ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਵਾਬ, ਰਸੀਦਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ., Complete Compliance Detail/Report ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੈਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰੈਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵਣ ਰਕਬਾ ਗੈਰ ਵਣ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

2) ਵਣ ਰੋਜ਼ ਅਫਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ. ਸਾਈਟ ਸਬੰਧੀ।

3) Indian Oil Corporation Limited, Suchi Pind, GT Road Bypass, Jalandhar-144001 (Email:- goyals1@indianoil.in) (Contact No. 94172-99773) ਨੂੰ ਰਾਹੀਂ ਵਣ ਰੋਜ਼ ਅਫਸਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ www.parivesh.nic.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਟਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ Receipt Challan/NEFT, RTGS ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਚਲਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਣ ਰੋਜ਼ ਅਫਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸਬਮਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ Mutation Detail, Compliance Detail ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

ਲੜੀ ਨੰ:	ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੈਰਾ 2(A) ਦੇ ਲੜੀ ਨੰ: i) ਤੋਂ v) ਤੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	ਰਕਮ
1	Compensatory Afforestation	51568-00
2	Entry Point Activity 10% of CA	5157-00
3	Net present value as per revised rate	13843-00
	Grand Total (1+2+3)	70568-00

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤ ਪੈਰਾ 2(A) ਦੇ ਲੜੀ ਨੰ: vi) ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੀ ਸਬਮਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤ ਪੈਰਾ 2(A) ਦੇ ਲੜੀ ਨੰ: vii) ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਫ.ਆਰ.ਏ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾ 2(B) ਤੇ ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੀ ਸਬਮਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣ ਪਾਲ (ਐੱਫ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਏ.), ਪੰਜਾਬ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: ਐੱਫ.ਸੀ.ਏ. 1980/4424-40 ਮਿਤੀ 22-11-2018 ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਕਾਪੀ ਨੱਥ ਵੀ ਸਬਮਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੈਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤਹਿਤ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਣ ਰਕਬਾ ਗੈਰ ਵਣ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ,
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

Forest Right Act (FRA)

Certificate

It is certified that the Land Measuring 0.0102 Ha. of forest Land for approach access road to B-Site Retail Outlet at part of Khasra No. 18/8/4/1, 18/90/3/1 of Indian Oil Corporation Limited, (Jalandhar Divisional Office) at Village Hariana (WML) from SH 24 to Dholwaha Road, (L.H.S) Tehsil and Distt. Hoshiarpur, as per the report sent by the Forest Division Officer, Hoshiarpur vide letter No. 3252 Dated 30.03.2022 is strip forest, as per the notification No. 1122-FT-58/1195 dated 03.05.1958 issued by the Government of Punjab and all the strips have been declared as protected forest and plantation on these strips is less than 75 years. Further, it is located on Village Hariana to Dholwaha Road, Tehsil & District Hoshiarpur, having no recorded population of Scheduled Tribes as per the Census 2001 and the Census 2011.

Place: Hoshiarpur.

Date: 18/05/2022

Deputy Commissioner,
Hoshiarpur.

o/s
Divisional Forest Officer
Hoshiarpur Forest Division
Hoshiarpur 21/07/2022

Forest Right Act (FRA)

Certificate

It is certified that the Land Measuring 0.0102 Ha. of forest Land for approach access road to B-Site Retail Outlet at part of Khasra No. 18/8/4/1, 18/90/3/1 of Indian Oil Corporation Limited, (Jalandhar Divisional Office) at Village Hariana (WML) from SH 24 to Dholwaha Road, (L.H.S) Tehsil and Distt. Hoshiarpur, as per the report sent by the Forest Division Officer, Hoshiarpur vide letter No. 3252 Dated 30.03.2022 is strip forest, as per the notification No. 1122-FT-58/1195 dated 03.05.1958 issued by the Government of Punjab and all the strips have been declared as protected forest and plantation on these strips is less than 75 years. Further, it is located on Village Hariana to Dholwaha Road, Tehsil & District Hoshiarpur, having no recorded population of Scheduled Tribes as per the Census 2001 and the Census 2011.

Place:Hoshiarpur.

Date: 18/05/2022

Deputy Commissioner,
Hoshiarpur.

o/s
Divisional Forest Officer
Hoshiarpur Forest Division
Hoshiarpur 21/07/2022

Certificate

I hereby certify that Indian Oil Corporation
Limited, I hereby undertakes to

comply all the conditions laid down as a part of Para-2 of In-

Principle Approval issued by the Punjab Forest Department.


Signature of User Agency

रतन दीप सिंह/Ratan Deep Singh
मुख्य प्रबंधक (खुदरा बिक्री)/Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corporation Limited
जालंधर मंडल कार्यालय/Jalandhar Divisional Office
सूची पिन, जालंधर-144009/Suchi Pind, Jalandhar-144009